



८०४/।।

दूरभाष— 2286709
2286710

नव येतना केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक : 135 / 05/76 / एक / 2015-16
सेवा में

दिनांक : 16 अप्रैल, 2015

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभियान
जनपद-लखीमपुर खीरी।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूचा द्वारा आपके जनपद (झूड़ा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मालिन वस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मालिन वस्तियों में इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवगुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु ० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	20295441879	IFSC Code ALLA0210285	235.370
(धनराशि लाख रु ० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मालिन	निकाय का नाम	वस्ती / वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० पलिया	वार्ड सं० 17, माहीगिरान प्रथम, में प्रभाकर ट्रेडर्स, दुधवा रोड से अकबर के मकान तक व राजू के मकान से राना के मकान तक तथा हनीफ के मकान से बम्बईया के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	14.662
2	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० पलिया	वार्ड सं० 17, माहीगिरान प्रथम, में छप्पर वाली मस्जिद से ट्रांसफार्मर तिराहे तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	9.800
3	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० पलिया	वार्ड सं० 17, माहीगिरान प्रथम, में मुन्ना फलवाले से छप्पर वाली मस्जिद तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	19.244
4	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० पलिया	वार्ड सं० 17, माहीगिरान प्रथम, में वसीउल्लाह के मकान से मो० उमर के मकान व रियाज के मकान से पप्पू फलवाले के मकान व नेपाली के मकान से शौकत के मकान व मक्सूद के मकान से मुजफ्फर के मकान तथा जाहिद के मकान से इस्माइल के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	10.730
5	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० पलिया	वार्ड सं० 12, माहीगिरान द्वितीय, में अब्दुल सत्तार के मकान से अनिल बड़े भैया के मकान तक व नस्थू के मकान से चिक मंडी मस्जिद तक तथा सुभाष के मकान से ट्रांसफार्मर तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	19.033
6	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० पलिया	वार्ड सं० 21, काकूपरियान, में डा० विजय के मकान से धर्मशाला व गोविंद राम के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	11.998
7	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० पलिया	वार्ड सं० 22, इकरामनगर, में दुधवा मेन रोड से कविस्तान तक तथा अफजल के मकान से मदरसा होते हुये कविस्तान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	9.391



00812

दूरभाष— 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्रो सं	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
8	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 पलिया	वार्ड सं0 09, सुभाषनगर, में अफजल के मकान से निशांत, हरीश के मकान से होते हुये मुन्ना झाईवर के मकान तक तथा पिंकी के मकान से इदगाह तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	16.246
9	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 पलिया	वार्ड सं0 09, सुभाषनगर, में राजू के मकान से मो0 उमर के मकान तक व मोहित के मकान से रौनक के मकान तक व मो0 ईशा के मकान से रामायण के मकान तक तथा रामप्रवेश के मकान से राजू के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	12.821
10	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 पलिया	वार्ड सं0 09, सुभाषनगर, में खानगा हसनी से इदगाह तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	10.703
11	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 पलिया	वार्ड सं0 09, सुभाषनगर, में बाईपास मेनरोड से सरदार दलजीत सिंह के मकान से होते हुये खानगा हसनी तक इंटरलाकिंग सड़क व नाला का निर्माण कार्य।	30.597
12	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 पलिया	वार्ड सं0 09, सुभाषनगर, में नीरज पाण्डे के मकान से रामजनम यादव के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	9.231
13	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 पलिया	वार्ड सं0 09, सुभाषनगर, में हीरालाल के मकान से उमर के मकान तक व महबूब के मकान से निरंजन के मकान तक तथा हीरालाल के मकान से आलम पत्रकार के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	13.862
14	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 लखीमपुर खीरी	मो0 गोटैयाबाग में अकील अंसारी से करुणा शंकर के मकान तक, गरीब नवाज मस्जिद से गरीब नवाज मदरसे तक, कमरू के मकान से डॉआर०य०खान के मकान तक, मस्जिद से मुन्ना के मकान तक, आशाराम के मकान से विनोद के मकान तक, कल्लू खां से साविर के मकान तक ^{एवं} राकेश कुमार के मकान से गुड़ू बाल्मीकि के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	16.482
15	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 लखीमपुर खीरी	मो0 हाथीपुर कोठार में सरफुददीन के मकान से असलम व पप्पू खं के मकान होते हुये नाज आर्ट तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.654
16	लखीमपुर खीरी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 लखीमपुर खीरी	मो0 हाथीपुर कोठार में रफीक के मकान से मस्जिद होते हुये नासिर के मकान तक एवं मो0 शमीम सिद्दीकी के मकान से गुड़ू के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.916
	योग				235.370

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में रु0सी0 रोड अथवा
इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1— उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में
रु0सी0 रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत
डी0पी0आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात
फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।



0083

दूरध्वाम- 2286709

2286710

नव घेताना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य ओब्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये। अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि डूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद की अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किशत की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टर की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रकपत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
- अपर निदेशक, सूडा।।
- अधिकारी अभियन्ता—सूडा
- कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक